न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 69 / 2017

1. लक्षमणसिंह पुत्र कालासिंह उर्फ मुख्तयारसिंह जाति जटसिख निवासी वांदर तहसील बाघापराना जिला मोगा पंजाब।
2. गेजसिंह पुत्र कालासिंह उर्फ मुख्तयारसिंह जाति जटसिख निवासी वांदर तहसील बाघापराना जिला मोगा पंजाब।
3. धोरो पुत्री कालासिंह उर्फ मुख्तयारसिंह जाति जटसिख निवासी नयोर तहसील भाईभगता जिला बठिण्डा पंजाब।
4. भरनोकौर पुत्री कालासिंह उर्फ मुख्तयारसिंह जाति जटसिख पत्नी परमजीतसिंह सुखनंद तहसील बाघापराना जिला मोगा पंजाब।
5. छिन्द्रपालकौर पुत्री कालासिंह उर्फ मुख्तयारसिंह पत्नी बलविन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी भोखड़ा कोठे मालासिंह वाले तहसील गोनेवाला जिला बठिण्डा पंजाब।

— **अपीलार्थीगण**

बनाम

1. गुरजन्टसिंह पुत्र कालासिंह उर्फ मुख्तयारसिंह जाति जटसिख निवासी वांदर तहसील बाघापराना जिला मोगा पंजाब।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व),सादुल शहर।

—रेस्पोडेटान

अपील अर्न्तगत धारा 223 रा.का.अ. 1955
विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी सादुलशहर दिनांक 03.05.2017

उपस्थितिः—

श्री सुरेश अरोड़ा अभिभाषक अपीलार्थी

श्री गुरविन्द्रसिंह अभिभाषक रेस्पो.

श्री इकबालसिंह सिद्धु, राजकीय अधिवक्ता

5/3/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

निर्णय दिनांक :– 05.03.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी/रेस्पो. ने एक वाद न्यायालय उपखंड अधिकारी सादुलशहर के समक्ष रा.का.अ. की धारा 88, 188 का पे ा कर कथन किया कि वादी के पिता के नाम चक 9 बीएनडब्लू के खाता संख्या 15/86 में 2.783 है0 चक 8 बीएनडब्लू के खाता संख्या 55/49 में 0.633 है0 व चक 9 बीएनडब्लू के खाता संख्या 52/49 में 0.316 है0 रिकार्ड में खातेदारी है। वादी के पिता ने विवादित भूमि की वसीयत वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पक्ष में की थी। वादी ने प्रतिवादी संख्या 3 से 5 को कई बार कहा कि वसीयत के आधार पर उक्त भूमि का इन्तकाल हमारे नाम करवा देवे लेकिन उनके द्वारा इन्कार कर दिया। अतः निवेदन है कि वादी का वाद स्वीकार किया जावे।

प्रतिवादी ने जबाव दावा पे ा कर कथन किया कि वसीयत किसी स्टाम्पस पर नहीं लिखी गई। विवादित भूमि प्रतिवादीगण को विरासतन प्राप्त हुई है। सभी का ब.हि.ब. है। पिता की मृत्यु के बाद विरासतन इन्तकाल दर्ज हो चुका है। अतः निवेदन है कि वाद खारिज किया जावे। दावा एवं जबाबदावा के आधार पर अधी. न्यायालय ने अनुतोष सहित 6 वाद बिन्दु कायम किये गये। सुनवाई करने के पश्चात अधी. न्यायालय ने दिनांक 03.05.2017 को वादी का वाद स्वीकार कर लिया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधी. न्यायालय द्वारा तनकियात कायम की गई। किन्तु किसी भी तनकी का निर्णय नहीं किया गया। वसीयत दिनांक 20.07.1998 में भूमि का उल्लेख नहीं है तथाकथित वसीयत पंजाब की भूमि के सम्बन्ध में थी। राजस्थान की भूमि के सम्बन्ध में कोई वसीयत नहीं की गई थी। अधी. न्यायालय ने रिकार्ड के विपरीत जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

5/3/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि वादी/रेस्पों. द्वारा अपने वाद को साक्ष्य से साबित किया था। वादी के पक्ष में वसीयत हुई थी। अधी. न्यायालय ने वसीयत के आधार पर वाद डिक्री करने में कोई भूल नहीं की। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपील अधी. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर के निर्णय दिनांक 03.05.2017 के विरूद्ध पेश हुई है जिसमें अधी. न्यायालय द्वारा वसीयत के आधार पर दावा डिक्री किया गया है जबकि विवादित आराजी विरासतन होकर अधी. न्यायालय का निर्णय अपास्त करने का अनुतोष चाहा है।

अधी. न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया, दावे एवं जबाबदावा के आधार पर 6 तनकीयात कायम की गई यथा–

(1) आया वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 के हक में पिता कालासिंह उर्फ मुख्त्यारसिंह ने सब रजिस्ट्रार बाघापुराना में दिनांक 20.07.1998 को रजि0वसीयत करवायी थी। –वादी

(2) आया वादी के पिता की मृत्यु दिनांक 27.05.210 को हो चुकी है एवं उक्त वसीयत के आधार पर गांव वांदर(पंजाब) में वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम ब.हि.ब. हो चुका है। – वादी

(3) आया राजस्थान में चक नं. 8 बीएनडब्ल्यू के खाता सं. 55/49 में 0.633है0, 9 बीएनडब्लयू के खाता सं. 15/86 में 2.783है0, खाता सं. 52/49 में 0.316 है0 भूमि की खातेदारी वसीयत के आधार पर न होकर विरासतन दर्ज हुई जिसे वादी वसीयत के आधार पर दर्ज करवाने का अधिकारी है। ––वादी

(4) आया राजस्थान के चक 8 बीएनडब्ल्यू के खाता सं. 55/49 में 0.633है0, 9 बीएनडब्लयू के खाता सं. 15/86 में 2.783है0, खाता सं. 52/49 में 0.316 है0 भूमि की खातेदारी विरसतन इन्तकाल दर्ज हुआ है तथा उक्त भूमि पैतृक सम्पत्ति है। विरासतन इन्तकाल दर्ज हुआ है वह सही है। ––प्रतिवादी सं. 1 से 5

5/3/18

(5) आया प्रतिवादी सं. 1 व 2 के हक में पिता कालासिंह उर्फ मुख्त्यारसिंह ने सब रजिस्ट्रार बाघापुराना में दिनांक 20.07.1998 को रजि0 वसीयत करवायी थी जो पंजाब की सम्पत्ति से सम्बन्धित है जो राजस्थान की सम्पत्ति से सम्बन्धित नहीं है।– प्रतिवादी सं. 1 से 5

(6) दादरसी।

उपरोक्त तनकियात में से तनकी सं. 1 से 3 वादी द्वारा साबित की जानी थी। तनकियात पर साक्ष्य संग्रहित होकर विवेचन में दावा डिक्री योग्य माना है परन्तु अपील मीमों की आपत्ति की कौन सी तनकी किसी रूप में निर्णित हुई स्पष्ट नहीं है के जबाब में अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में जाहिर किया कि अधी. न्यायालय में दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य की मुख्य परीक्षा व जिरह से रेस्पों. द्वारा उसके जिम्मे की सभी तनकीयात साबित की है। अतः अपीलीय न्यायालय सिविल प्रकिया संहिता की धारा 107(2) के अन्तर्गत पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का विवेचन कर तनकीवार विनिश्चय Add करने का निवेदन किया। यथा तनकी सं. 1 प्रदर्श Ex-1 जिसका हिन्दी अनुवाद प्रदर्श Ex-A1 के अतिरिक्त मौखिक Pw-1, Pw-2, Pw-3, Pw-4 से यह साबित है कि वादी रेस्पों.(गुरजन्टसिंह) व लक्ष्मणसिंह व गेजसिंह के पक्ष में वसीयत निष्पादित कर उपपंजीयक कार्यालय बाघापराना के कार्यालय में पंजीबद्ध हुई। यह वादी रेस्पों. के पक्ष में साबित है। अतः यह विश्लेषण निर्णय में समाहित करने का अनुरोध किया। वकील रेस्पों. ने दौराने बहस तनकी सं. 2 के सम्बन्ध में अधी. न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श Ex-2 व अधी. न्यायालय की पत्रावली के साथ पेश नामान्तरण सं. 123 की प्रति व उसका अंग्रेजी अनुवाद के साथ–साथ दस्तावेजी साक्ष्य Pw-1, Pw-2, Pw-3, Pw-4 की जिरह से साबित होकर तनकी सं. 2 रेस्पों. के पक्ष में साबित है का विश्लेषण निर्णय में जोडने का निवेदन किया।

तनकी सं. 3 के सम्बन्ध में अधी. न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य जमाबन्दी प्रदर्श Ex-4 जिसपर नामान्तरणकरण सं. 439 को अंकित है कि इबारत है कि कालासिंह, पंजाबकौर (फौत) लक्ष्मणसिंह, गुरजन्टसिंह, गेजसिंह, धीरो, भरनकौर, छिन्द्रपालकौर पुत्र पुत्रियां कालासिंह उर्फ मुख्त्यारसिंह

5/18

कौम जटसिख सा. बनवाला खातेदार। दस्तावेजी साक्ष्य से तनकी सं. 1 रेस्पों. सं. 1 द्वारा साबित की जा चुकी है जिसे निर्णय की इबारत में जोडने का निवेदन किया।

तनकी सं. 4 अपीलांट द्वारा साबित की जानी थी जिसका प्रथम हिस्सा विरासत अनुसार devolve होने बाबत रेस्पों. द्वारा साबित किया जा चुका है तथा भूमि पैतृक होने बाबत कोई साक्ष्य सबूत न पेश हुआ और न ही परीक्षित हुआ। अतः यह तनकी अपीलांट के विरूद्ध विवेचन समाहित करने का अनुरोध किया।

तनकी सं. 5 के सम्बन्ध में अभिभाषक रेस्पों. द्वारा जाहिर किया कि दसवेजी साक्ष्य Ex-1 जिसका हिन्दी अनुवाद Ex-A1 पंजाब व राजस्थान की सम्पत्ति का demarcation नहीं करती के अलावा अपीलांट द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे यह तनकी अपीलांट के पक्ष में सिद्ध हो। अतः इस तनकी का विवेचन अपीलांट के विरूद्ध समाहित करने का अनुरोध किया।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा रेस्पों. अभिभाषक द्वारा यह कहते हुए विरोध किया कि अधी. न्यायालय द्वारा सिविल प्रकिया संहिता के आदेश 20 नियम 5 के प्रावधानुसार तनकीवार निर्णय नहीं किया। अतः अपील स्वीकार करने का अनुरोध किया। अधी. न्यायालय के निर्णय का कियात्मक अंश है कि वादाधीन आराजी वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 के पिता के नाम दर्ज थी एवं इसके अलावा वादी एवं प्रतिवादीगण के पिता के नाम पंजाब राज्य में भी आराजी दर्ज कागजात थी जिसकी वसीयत वादी एवं प्रतिवादीगण के पिता कालासिंह पुत्र चितरसिंह द्वारा वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 के हक में की गई एवं अपने तीनों पुत्रों वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 को ब.हि.ब. अपनी सम्पत्ति देने की इच्छा जाहिर की गई है एवं इसी वसीयत के मुताबिक वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम पंजाब राज्य में भी आराजी दर्ज कागजात हुई है जिसे प्रतिवादी साक्षीगण ने भी अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि पंजाब राज्य में भी आराजी वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम मुताबिक वसीयत दर्ज रिकार्ड हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण के बयानों से इन्तकाल दर्ज हुआ है एवं वादी द्वारा अपने दावा के साथ पंजाब राज्य की जमाबन्दी पेश की है। वसीयत के मुताबिक स्व0 कालासिंह पुत्र चितासिंह द्वारा

5/3/14

अपनी तमाम सम्पत्ति का बंटवारा अपने तीनों पुत्रों वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 के हक में किया है। वसीयत में किसी एक राज्य की सम्पत्ति न देकर अपने नाम सम्पूर्ण सम्पत्ति जिक किया गया है जिसके विरूद्ध प्रतिवादीगण द्वारा किसी प्रकार की कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की गई है एवं वसीयत के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण ने पंजाब राज्य की आराजी को अपने नाम दर्ज कागजात करवाया है जिसे वादी एवं प्रतिवादीगण की साक्ष्यों से साबित किया है इस प्रकार वसीयत को केवल मात्र पंजाब राज्य की सम्पत्ति का भाग नहीं माना जा सकता चुंकि स्व0 कालासिंह पुत्र चितासिंह ने अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति का जिक वसीयत में किया है एवं उक्त वसीयत को वादी एवं प्रतिवादीगण ने भी स्वीकार किया है। ऐसी सूरत में वसीयत को एक भाग में नहीं बांटा जा सकता एवं साक्ष्य वादी में पेश साक्ष्य Pw-5 मनीष कुमार ने अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि वसीयत मेरे सामने लिखी गई है एवं वसीयत में किसी एक सम्पत्ति का जिक नहीं किया गया है बल्कि सम्पूर्ण सम्पत्ति का जिक किया गया है एवं साक्ष्य प्रतिवादी में पेश साक्ष्यों ने भी यह स्वीकार किया है कि वसीयत के मुताबिक कालासिंह पुत्र चितासिंह के तीनों लडके ही उसकी सम्पूर्ण सम्पत्ति के हकदार होगें एवं वादी ने अपनी साक्ष्यों से वादाधीन आराजी पर वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 की प्रत्येक की 1/3 हिस्सा अनुसार कब्जा काश्त को साबित किया है। ऐसी सूरत में वादी के पिता द्वारा की गई वसीयत को अन्तिम एवं सही मानते हुए वादाधीन आराजी में वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 को मुताबिक वसीयत ब.हि.ब. के हकदार मानते हुए साक्ष्यों , दस्तावेजी साक्ष्या एवं बहस के आधार पर मय वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता हूँ।

पत्रावली के अवलोकन, पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के विश्लेषण एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पंहुचता है कि :–

1. विवाद वसीयत एवं विरासत के बिन्दु के विनिश्चय से सम्बन्धित है जिसमें अपीलांट विरासत के पदचिन्हों पर अनुतोष चाहा है जबकि रेस्पों. का अनुतोष वसीयत से सम्बन्धित है जिसकी सन्दर्भ विधि राज.काश्त.अधि.

1955 की धारा 40 है जिसकी Bare reading है कि अभिधारियों का उत्तराधिकार– कोई अभिधारी निर्वसीयत मर जाए तो उसकी जोत में का उसका हित उस स्वीय विधि अनुसार जिसके वह अपनी मृत्यु के समय अध्यधीन या न्यायगत होगा। धारा की opening line है कि जिस सम्पत्ति की वसीयत नहीं की हो विरासत अनुसार devolve योग्य है।

2. विरासत एवं वसीयत के बिन्दुओं पर अधी. न्यायालय में परीक्षित दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्यों को सम्बन्धित तनकी के विनिश्चय हेतु अभिभाषक रेस्पों. का अनुरोध स्वीकार योग्य है।

3. वसीयत अनुसार पंजाब राज्य की सम्पत्ति devolve हो चुकी है जो निर्विवाद है इसे दोनों पक्षकार स्वीकार करते हैं एवं राजस्थान की सम्पत्ति का इसी अनुरूप निस्तारण विधिसम्मत है क्योंकि एक ही विधि यथा वसीयत की दो अलग–अलग विरोधाभासी अवधारणाए नहीं हो सकती जैसाकि वसीयत जिन कानूनों से guided है वह हिन्दू विल्स एक्ट तथा भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम एवं इसका पंजीयन भारतीय पंजीयन अधिनियम में होना तीनों ही Central Act होकर सम्पूर्ण भारत पर लागू है।

उपरोक्त बिन्दु सं. 1 से 3 के विवेचन अनुसार तनकी विनिश्चय के संशोधन के साथ अपील अपीलांट खारिज की जाती है एवं अधी. न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 05.03.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

5/3/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर